संख्या-67/902/78-1-2014-129आई0टी0/2014

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक, 03 नवम्बर,2014

विषय: चक गंजरिया फार्म, लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान(आई0आई0आई0टी0) की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में चक गंजरिया फार्म, लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई0आई0आई0टी0) की स्थापना हेतु इण्डस्ट्रीज पार्टनर के रूप चयनित उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पूँजी निवेश अंश रू0 19.20 करोड की प्राविधानित धनराशि में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 9.60 करोड (रूपये नौ करोड साठ लाख) की धनराशि शासन के आदेश संख्या-777/78-1-2014-129आई0टी0/2014, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 9.60 करोड (रूपये नौ करोड साठ लाख) निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का राजकोष से आहरण एम0ओ0ए0 तथा नियम बन जाने पर एवं आई0आई0आई0टी0 के पंजीकरण के उपरान्त उसे उपलब्ध कराने हेतु तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(3) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। ।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि नियमानुसार राजकोष में जमा की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(7) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-7 के "लेखा शीर्ष-4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय(अयोजनागत), 02-इलेक्ट्रानिक, 800-अन्य निवेश, 04- सी0जी सिटी में आई0आई0आई0टी0 की स्थापना,24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(8) यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6-556/दस-2014, दिनांक 16/10/2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-67/902(1)/78-1-2014 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- जिलाधिकारी लखनऊ, उ0प्र0।
9- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
10- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपी यूनिट लखनऊ।
11- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
12- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन लखनऊ।
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4/प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2 आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in